सूचना का अधिकार

सूचना विवरण पुस्तिका

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

उत्तराखण्ड सरकार

मैनुअल–12

निदेशालय

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

ननूरखेड़ा(तपोवन)देहरादून।

वैब साइड–www.schooleducation.uk.gov.in

ई.मेल-ua.elementary@yahoo.in

मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा
मध्याह्न भोजन योजना प्रकोष्ठ
ननूरखेड़ा, निकट विद्यालयी शिक्षा निदेशालय,
E-mail : mdmcell.uttarakhand@gmail.com
दूरभाष / फैक्स – 0135 2781944

अति महत्वपूर्ण / व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित

सेवा में,

(1) समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तराखण्ड।

(2) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
उत्तराखण्ड।

पत्रांकः– रा0प0का0 / 523 / एम0डी0एम0 / 47 / 2020–21 / दिनांकः 07 दिसम्बर 2020

विषयः– विद्यालयों में किचन गार्डन तैयार करने हेतु धनराशि का प्रेषण एवं दिशा–निर्देश विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि वर्ष 2019–20 हेतु भारत सरकार से कुल 558 विद्यालयों में किचन गार्डन तैयार करने हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है। जनपदवार धनराशि आपके बैंक खाते में अन्तरित की जा रही है जिसका आगणन एवं विद्यालयों की सूची संलग्न है। उक्त धनराशि के उपयोग में निम्न निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक है।

1. आपके जनपद में चयनित विद्यालयों में तैयार किये जाने वाले किचन गार्डन की फेंसिंग / तारबाड की जानी आवश्यक है ताकि किचन गार्डन का पशुओं तथा अन्य अनुकूल परिस्थितियों से बचाव किया जा सके। इस हेतु विद्यालय को ईको–क्लब मद में प्राप्त धनराशि का उपयोग किया जा सकता है अथवा समग्र शिक्षा अभियान द्वारा फेंसिग / तारबाड का कार्य किया जा सकता है।
2. विद्यालयों में किचन गार्डन तैयार करने हेतु बच्चों के छोटे समूह बनाकर उनका दायित्व दिया जा सकता है जिसमें भूमि तैयार करना, बीज आदि की व्यवस्था, सिंचाई, किचन गार्डन की देख–रेख, किचन गार्डन उपकरण के रख–रखाव आदि के लिए समूह बनाये जा सकते हैं। किचन गार्डन हेतु पर्याप्त पानी की व्यवस्था होनी आवश्यल है।
3. किचन गार्डन में मौसम तथा भौगोलिक अनुकुल सब्जियां यथासंभव हरी–पत्तेदार सब्जी उगाई जाये ताकि बच्चों में आयरन एवं विटामिन की पूर्ति की जा सके। यदि विद्यालय में जगह पर्याप्त हो तो फल एवं अन्य स्थानीय खाद्य पौधे उगाये जा सकते हैं।
4. विद्यालयों में मशरूम का उत्पादन भी किया जा सकता है।
5. सब्जियों के बीजों एवं उच्च गुणवत्ता युक्त फलदार पौधों को क्रय करने तथा तकनीकी जानकारी हेतु कृषि विभाग, उद्यान विभाग, कृषि विज्ञान केन्द्र से सम्पर्क किया जाये।
6. किचन गार्डन बनाने में कृषि, उद्यान विभाग के जनपद में स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र के विशेषज्ञों की सहायता ली जा सकती है।
7. किचन गार्डन तैयार करने में बच्चों की सहायता ली जा सकती है। इससे बच्चों को मिट्टी के प्रकार, क्यारियों को किस प्रकार बनाया जाये, जल संचय तथा अन्य विभिन्न जानकारी यथा बीजों, भूमि एवं तकनीकी जानकारी प्रदान की जाये एवं बच्चों के सहयोग से किचन गार्डन तैयार किया जाये। बच्चों को वृक्षों एवं पौधों से पर्यावरण को होने वाले लाभ एवं इनको महत्व पर भी जानकारी दी जाये।
8. विद्यालय में किचन गार्डन हेतु भूमि का समतलीकरण, लेआउट आदि को तैयार करने हेतु मनरेगा का सहयोग भी लिया जा सकता है।
9. किचन गार्डन में तैयार सब्जियों तथा फलों का उपभोग बच्चों को कराया जाये तथा बच्चों को उनके घर में किचन गार्डन तैयार करने हेतु प्रोत्साहित किया जाये।
10. समय–समय पर स्थानीय अभिभावकों एवं जनसमुदाय, जो स्थानीय जैविक कृषि के संबंध में जानकारी रखते है, उन्हें बच्चों से संवाद स्थापित करने हेतु निवेदन किया जा सकता है।
11. किचन गार्डन हेतु उपलब्ध कराये जाने वाली धनराशि को विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से व्यय किया जाना आवश्यक है।
12. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अनुरुप ही धनराशि व्यय करना सुनिश्चित करें।
13. किचन गार्डन में व्यय होने वाले देयकों को नियमानुसार सत्यापित करते हुए मध्याह्न भोजन योजना की गार्ड फाइल में रखें।

संख्या– 552 / XXIV(1)-2/2020-25 / 2007

प्रेषक,

आर. मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून : दिनाँक 23 नवम्बर,2020

विषयः– मध्याह्न भोजन योजना के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु भोजनमाता के चयन, कार्य से पृथक्करण एवं उनके कार्य दायित्वों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–524 / XXIV(1) 2012-25 / 2007 दिनांक 14 अगस्त, 2012 में आंशिक संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–रा0प0का0 / 473 / एम0डी0एन0 / 2020–21 दिनांक 06 नवम्बर, 2020 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मध्याह्न भोजन योजना के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु भोजनमाताओं का चयन करने, उनको कार्य से पृथक करने व उनके कार्य एवं दायित्वों के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–524 / XXIV(1) 2012-25 / 2007 दिनांक 14 अगस्त, 2012 के प्रस्तर–2 के बिन्दु संख्या 6 "भोजनमाता को उनके कार्य से पृथक किया जाना" में तत्कालिक प्रभाव से निम्नानुसार आंशिक संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

पूर्व में अनुच्छेद 2 के बिन्दु संख्या 6 में उल्लिखित	आंशिक संशोधन के पश्चात् अनुच्छेद 2 का बिन्दु संख्या 6
"यदि पूर्व में कार्यरत किसी भी भोजनमाता का पाल्य विद्यालय में अध्ययनरत न हो तो ऐसी दशा में जो भोजनमाता बाद में चयनित की गयी थी, उसे पृथक किया जाए।"	यदि पूर्व में कार्यरत किसी भी भोजनमाता का पाल्य विद्यालय में अध्ययनरत न हो तो ऐसी दशा में जो भोजनमाता बाद में चयनित की गयी थी, उसे पृथक किया जाए। "यदि सभी भोजनमाताओं का चयन एक ही तिथि को हुआ हो तो ऐसी दशा में जिस भोजनमाता की आयु कम है, वही कार्य पर बनी रहेंगी।"

2- उल्लिखित शासनादेश संख्या–524 / XXIV(1) 2012-25 / 2007 दिनांक 14 अगस्त, 2012 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाय, शेष शर्तें यथावत् रहेगी।

भवदीय,

(आर. मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

राज्य परियोजना कार्यालय
समग्र शिक्षा अभियान,उत्तराखण्ड
मध्याह्न भोजन योजना प्रकोष्ठ
ननूरखेड़ा, निकट निदेशालय विद्यालयी शिक्षा
तपोवन मार्ग, रायपुर, देहरादून पिन–248008
E-mail : mdmcell.uttarakhand@gmail.com
दूरभाष/फैक्स: 0135–2781944 टॉल फ्री: 1800 180 4132
Website: http://ssa.uk.gov.in

मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

अति महत्वपूर्ण

सेवा में,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा
उत्तराखण्ड।

पत्रांक/रा0प0का0/01/एम0डी0एम0/02 (2020)/2020–21 दिनांक 15 अप्रैल 2020

विषयः– वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु कुकिंग मूल्य की दरो में पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र F.No. 1-2/2019-Desk(MDM) Dated 14th April 2020 द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु कुकिंग कास्ट की दरों का पुनर्निर्धारण किया गया है। वर्तमान दरों को 90:10 (केन्द्रांश : राज्यांश) के अनुपात में 10.99% की वृद्धि के साथ निर्धारित किया गया है। नवीन पुनर्निर्धारित दरों की तालिका निम्नवत् है।

राज्य में दिनांक 01 अप्रैल 2020 से प्रभावी कुकिंग कास्ट की दरें

स्तर	कुकिंग मूल्य की पुनर्निर्धारित दरें (रू0) प्रति छात्र	केन्द्र राज्य अनुपात	
		केन्द्रांश (90%)	राज्यांश (10%)
प्राथमिक	4.97	4.47	0.50
उच्च प्राथमिक	7.45	6.70	0.75

अतः वित्तीय वर्ष 2020–21 में दिनांक **01 अप्रैल 2020** से कुकिंग कास्ट में की गई वृद्धि के समतुल्य ही विद्यालयों को प्रति छात्र की दर से धनराशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
राज्य परियोजना निदेशक
समग्र शिक्षा अभियान
उत्तराखण्ड

पृ0स0/रा0प0का0/01/एम0डी0एम0/02 (2020)/2020–21 तद्दिनांक
प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
3. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त उप शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0 के माध्यम से)

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
राज्य परियोजना निदेशक
समग्र शिक्षा अभियान
उत्तराखण्ड

3

F. No. 1-2/2018-Desk (MDM)
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of School Education & Literacy
(MDM Division)

Shastri Bhavan, New Delhi.
Dated the 14th April, 2020

To,

The Principal Secretaries / Secretaries (Education) / Nodal Department of all the States / UTs for National Programme of Mid Day Meal in Schools

Subject: Revision of cooking cost @ 10.99% w.e.f. 01.04.2020 during 2020-21 under National Programme of Mid Day Meal in Schools (NP-MDMS) -regarding.

Sir / Madam,

I am directed to say that it has been decided with the approval of the competent authority to increase the cooking cost by 10.99% over and above the existing cooking cost under National Programme of Mid Day Meal in schools w.e.f. 1st April, 2020 for the year 2020-21. The cooking cost will be shared between the Centre and States in the ratio of 60:40 for non-North Eastern Region (NER) States & UTs with legislature (except J & K), 100% for UTs without legislature and 90:10 for NER States, UT with legislature viz. Jammu & Kashmir and 2 Himalayan States viz. Himachal Pradesh, and Uttarakhand. The rates of cooking cost admissible w.e.f. 01.04.2020 during 2020-21 for Primary and Upper Primary classes would be as under:-

Stage	Revised cooking cost per child per day	Centre-State sharing				
		Non-NER States & UTs with Legislature (except J & K) 60:40)		NER States , UT with Legislature (J&K) and 2 Himalayan States (90:10)		UTs without Legislature (100%)
		Centre	State	Centre	State	Centre
Primary	Rs. 4.97	Rs. 2.98	Rs. 1.99	Rs. 4.47	Rs. 0.50	Rs. 4.97
Upper Primary	Rs. 7.45	Rs. 4.47	Rs. 2.98	Rs. 6.70	Rs. 0.75	Rs. 7.45

2. The above cooking cost rates indicate the minimum mandatory contribution by the State Governments/UT Administrations. However' States / UTs may contribute more than their prescribed share, as some States/UTs had been contributing more

Pg 1 of 2

(2)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

राज्य परियोजना कार्यालय
समग्र शिक्षा अभियान,उत्तराखण्ड
मध्याह्न भोजन योजना प्रकोष्ठ
ननूरखेड़ा, निकट निदेशालय विद्यालयी शिक्षा
तपोवन मार्ग, रायपुर, देहरादून पिन–248008
E-mail : mdmcell.uttarakhand@gmail.com
दूरभाष / फैक्स: 0135–2781944 टॉल फ्री: 1800 180 4132
Website: http://ssa.uk.gov.in

अत्यन्त महत्वपूर्ण

सेवा में,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा
उत्तराखण्ड।

पत्रांक / रा0प0का0 / 860 / एम0डी0एम0 / 38 (2020) / 2019–20 दिनांक 19 मार्च 2020

विषयः– कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के दृष्टिगत छात्र–छात्राओं की सुरक्षा के निमित दिनांक 31 मार्च 2020 तक बन्द शिक्षण संस्थाओं में मध्याह्न भोजन योजना से लाभान्वित विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन योजना नियम 2015 के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा भत्ता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 119/XXIV/2020/3(1)/2020 मा0शि0अनु0 दिनांक 12 मार्च 2020 द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के दृष्टिगत छात्र–छात्राओं की सुरक्षा के निमित दिनांक 31 मार्च 2020 तक प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षण संस्थायें (प्री प्राईमरी, प्राथमिक,उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट स्तर की) बन्द करने के आदेश दिये गये हैं। इस स्थिति में इन विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना संचालित करने में व्यवधान होगा।

चूंकि मध्याह्न भोजन योजना प्रत्येक कार्य दिवस विद्यालयों में संचालित की जानी है, तथा लाभान्वित विद्यार्थियों को इससे वंचित किया जाना उचित नहीं है, ऐसी स्थिति में बन्द विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना से लाभान्वित कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यार्थियों को **13 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 तक (कुल 14 कार्य दिवसों के आधार पर)** भारत सरकार के राजपत्र, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, **मध्याह्न भोजन योजना नियम 2015,** दिनांक 30 सितम्बर 2015 के **प्रस्तर 9 खाद्य सुरक्षा भत्ता** जिसमें **(क) बालक की पात्रता के अनुसार खाद्यान्न की मात्रा** (Quantity of Food Grains as per Entitlement of child) तथा **(ख) राज्य में उस समय अभिभावी खाना पकाने की लागत** (Cooking cost prevailing in the State) प्रधानाध्यापकों / प्रधानाचार्यों के माध्यम से बच्चों के अभिभावकों को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान
मध्याह्न भोजन योजना प्रकोष्ठ
ननूरखेड़ा, निकट विद्यालयी शिक्षा निदेशालय
E-mail : mdcell.uttarakhand@gmail.com
दूरभाष / फैक्स–0135 2781944
Toll Free Number- 1800 180 4132

मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

सेवा में,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
उत्तराखण्ड।

पत्रांक : रा0प0का0/790/ एम0डी0एम0-04/2018-19 दिनांक 27 दिसम्बर 2018

विषय:- **मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत दिशा-निर्देश।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 को जनपद हरिद्वार में भारत सरकार के प्रतिनिधि द्वारा अनुश्रवण किया गया जिसमें प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि विद्यालयों में कुछ मूलभूत कमियां परिलक्षित हुई है जिसका निस्तारण किया जाना अवश्यक है। इस संबंध में विद्यालयों द्वारा निम्नवत बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही की जानी आवश्यक है।

(1) अभिलेखों का रखरखाव :-

विद्यालयों में विभिन्न अभिलेखों यथा कैशबुक, बैंक पासबुक, एम0डी0एम0 पंजिका, खाद्यान्न प्राप्ति, उपभोग भण्डारण पंजिका, धनराशि विवरण, उपस्थिति पंजिका, स्वास्थ्य परीक्षण पंजिका आदि अभिलेखों का रखरखाव तथा अपडेट कार्य नियमित रूप से करते रहें। माह के अंत में एस0एम0सी0 अध्यक्ष तथा प्र0अ0 द्वारा पंजिकाओं का अवलोकन किया जाये। यह ध्यान में रखें कि पंजिकाओं में कटिंग/फ्लूड करने से बचा जाये। लेजर (Ledger) तथा क्रय की गई सामग्री के बिल वाउचर गार्ड फाईल में रखा जाना सुनिश्चित करें।

(2) साप्ताहिक मेन्यू/लोगो/टोल फ्री नंबर/मानक:-

विद्यालय में साप्ताहिक मेन्यू की सूचना दीवार पर अंकित करें तथा उसके अनुसार ही प्रत्येक कार्य दिवस में भोजन तैयार किया जाये। भोजन में **सब्जियों को अवश्य सम्मिलित** किया जाये। किचन की दीवार पर लोगो एवं टोल फ्री नंबर भी अनिवार्य अंकित होना चाहिए।

(3) स्वच्छता/पेयजल:-

विद्यालय परिसर में स्वच्छता का वातावरण विकसित किया जाना आवश्यक है। फुलवारी बनायी जाये तथा रखरखाव नियमित किया जाये। समय-समय पर विद्यालय भवन में रंग-रौगन किया जाये। कक्षा कक्ष में व्यवस्थित रूप से सामग्री रखी जाये तथा कक्ष में विभिन्न सूचनाओं से सुसज्जित पोस्टर अंकित किया जायें। पानी की टंकी/हैंडपंप की नियमित साफ-सफाई की जानी चाहिए। **भोजनमाता द्वारा अच्छी तरह खाद्य सामग्री को साफ करते हुए तथा एप्रेन ग्लव्स पहनकर भोजन बनाया जाये भोजनमाता द्वारा किचन के भीतरी एवं बाहरी परिसर को प्रतिदिन सफाई करने के निर्देश दिये जायें। किचन कम स्टोर में ज्वलनशील वस्तुओं को बच्चों की पहुंच से** दूर रखें। पानी की निकासी इस प्रकार से हो कि वह किचन गार्डन में जाये। **विद्यालय के शौचालय की सफाई की जानी आवश्यक है। शौचालयों में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए।**

(4) खाद्य सामग्री का क्रय एवं भण्डारण:-

मसाले व तेल एगमार्क युक्त होने चाहिए तथा क्रय करते समय प्रयोग की अंतिम तिथि को अवश्य देख लिया जाए। खुले तेल का प्रयोग न किया जाये। चावल व दाल साफ व अच्छी गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। सब्जियां ताजी हों, जितनी की आवश्यकता हो उतनी ही खरीदी जाये। दालों, मसालों व नमक को सूखे व बंद डिब्बों में रखें। नमीयुक्त कमरों/कक्षा-कक्षों में चावल, दाल व अन्य खाद्य सामग्री कदापि न रखी जाए। खाद्यान्न की गुणवत्ता तथा रखरखाव हेतु उचित निर्देश विद्यालयों को दिये जायें विशेष रूप से वर्षा ऋतु में खाद्यान्न की उचित रखरखाव हेतु विद्यालयों को निर्देशित किया जाये कि खाद्यान्न (चावल) को ग्रेन-बिन में रखा जाए अथवा ऊँचे स्थान जहां पर बरसात का पानी न पहुँच सके, रखा जाये। खाद्यान्न के बैग नमीयुक्त स्थान पर न रखे। खाद्यान्न को चूहों एवं अन्य कीटों से बचाव के सम्बन्ध में समुचित प्रबन्ध किया जाए। खाद्यान्न का उपभोग प्राप्ति के अनुसार ही किया जाए अर्थात पहले प्राप्त चावल का उपभोग करें जिससे कि चावल को खराब होने से बचाया जा सके। खाद्यान्न में किसी प्रकार का कीटनाशक न रखा जाए अथवा किसी भी प्रकार के

सं० 54 /XXIV /2019-[illegible]

प्रेषक,

आर मीनाक्षी सुन्दरम
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग देहरादून: दिनांक: 01 नवम्बर, 2019

विषय:- उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों में संचालित राजकीय विद्यालय, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालय/स्थानीय निकाय, विशेष प्रशिक्षण केन्द्र एवं मदरसा में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के पोषण स्तर में सुधार हेतु फोर्टिफाइड मीठा सुगंधित दूध (Fortified Skimmed Milk) उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक रा0प0का0 का पत्रांक 426/ एन0 डी0 एम0 /60 (2019) /2019 -20 दिनांक 30 सितम्बर, 2019 के सन्दर्भ में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के समस्त जनपदों में संचालित राजकीय विद्यालय राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालय/स्थानीय निकाय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र एवं मदरसा में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के पोषण स्तर में सुधार हेतु राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का विस्तारिकरण करते हुए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को प्रत्येक माह के प्रत्येक सोमवार (सोमवार को अवकाश होने की स्थिति में अगले शिक्षण दिवस को) फोर्टिफाईड मीठा सुगंधित दुग्ध उपलब्ध कराये जाने की निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

2- राज्य के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना गतिमान है। मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना है जिसमें कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को दोपहर के समय ताजा भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से दाल, चावल एवं सब्जी उपलब्ध कराई जाती है। भारत सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जा रहे भोजन से प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्र-छात्राओं हेतु 450 कैलोरी ऊर्जा तथा 12 ग्रा0 प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 700 कैलोरी ऊर्जा एवं 20 ग्रा0 प्रोटीन पूर्ति की अपेक्षा रखी जाती है, किन्तु इसकी पूर्ति बच्चों को दिये जाने वाले भोजन से नहीं हो पाती है। राज्य में छात्र-छात्राओं को सप्ताह में एक दिन अतिरिक्त पोषण दिया जाता है, जिसमें मुख्यतः अण्डा/फल/गुडपापड़ी/शहद इत्यादि खाद्य पदार्थ दिये जाते हैं, जिससे उनके पोषण स्तर में सुधार हो सके।

फैडरेशन को 50 % धनराशि विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा अग्रिम रूप से दी जानी होगी।

(8)– योजना का समय–समय पर अधिकारियों द्वारा निरीक्षण एवं अनुश्रवण करते हुए मुख्य रूप से विद्यार्थियों को फोर्टिफाइड मीठा सुगंधित दूध प्राप्त होने, दूध की गुणवत्ता/मात्रा की जांच तथा बच्चों के पोषण स्तर में सुधार की जांच की जायेगी। इस हेतु विद्यालय शिक्षा विभाग एवं दुग्ध विकास तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कार्य दायित्व दिया जायेगा।

(9) कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0पत्र सं0–135(म0) /XXVII (3)/2019-20 दिनांक 1–11–2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(आर मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

सं0 540 /XXIV(1)/2019–25/2007 /तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
(1) निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
(2) निजी सचिव, माननीय मंत्री, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड सरकार।
(3) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
(4) राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा ननूरखेड़ा, देहरादून उत्तराखण्ड।
(5) संयुक्त निदेशक, मध्यान्ह भोजन योजना प्रकोष्ठ, ननूरखेड़ा देहरादून।
(4) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
(5) निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
(6) प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फेडरेशन।
(7) निदेशक, उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फेडरेशन।
(8) समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
(9) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा0/मा0 शिक्षा), उत्तराखण्ड।
(10) समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
(11) समस्त उप शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव

राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान
मध्याह्न भोजन योजना प्रकोष्ठ
शिक्षा संकुल, सीमैट भवन ननूरखेडा देहरादून
E-mail : mdmcell.uttarakhand@gmail.com
दूरभाष / फैक्स – 0135 2781944
Toll Free Number- 1800 180 4132

मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

सेवा में,

अति – महत्वपूर्ण

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा
उत्तराखण्ड।

पत्रांकः– रा0प0का0 / 236 / एम0डी0एम0–02(कु0का0) / 2019–20 दिनांक 26 जून 2019

विषयः– वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु कुकिंग मूल्य मद की दरों के पुनर्निधारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या F.No. 1-2/2018-Desk (MDM) Dated 24th June 2019 द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु कुकिंग कास्ट की दरों का पुनर्निधारण किया गया है। वर्तमान दरों को 90:10 (केन्द्रांश : राज्यांश) के अनुपात में 3.09 % की वृद्धि के साथ निर्धारित किया गया है। नवीन दरों का पुनर्निधारण निम्नवत् किया गया है।

राज्य में दिनांक 01 जुलाई 2019 से प्रभावी कुकिंग कास्ट की दरें

स्तर	कुकिंग मूल्य की पुनर्निधारित दरें (रू0) प्रति छात्र	केन्द्र राज्य अनुपात	
		केन्द्रांश (90%)	राज्यांश (10%)
प्राथमिक	4.48	4.03	0.45
उच्च प्राथमिक	6.71	6.04	0.67

अतः वित्तीय वर्ष 2019-20 मे *दिनांक 01 जुलाई 2019* से कुकिंग कास्ट में की गयी वृद्धि के समतुल्य ही विद्यालयों को प्रति छात्र की दर से धनराशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
राज्य परियोजना निदेशक
उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद्
उत्तराखण्ड देहरादून।

पृष्ठांकन सं0 रा0प0का0 / 236–39 / एम0डी0एम0–02(कु0का0) / 2019–20 तद्दिनांक
प्रतिलिपिः– निम्नांकित के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1:– समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
2:– समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3:– समस्त उप शिक्षा अधिकारियों को जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के माध्यम से।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
राज्य परियोजना निदेशक
उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद्
उत्तराखण्ड देहरादून।

IMMEDIATE

F.No. 1-2/2018-Desk (MDM)
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of School Education & Literacy
(MDM Division)
****

222

28/6/19

Shastri Bhavan, New Delhi.
Dated the 24th June, 2019

To

The Principal Secretaries / Secretaries (Education) / Nodal Department of all the States / UTs for National Programme of Mid Day Meal in Schools

Subject: **Revision of cooking cost @ 3.09% w.e.f. 01.04.2019 during 2019-20 under National Programme of Mid Day Meal in Schools (NP-MDMS) - regarding.**

Sir / Madam,

I am directed to say that it has been decided with the approval of the competent authority to increase the cooking cost by 3.09% under National Programme of Mid Day Meal in schools <u>w.e.f. 1st April, 2019</u> for the year 2019-20 over and above the existing cooking cost. The cooking cost will be shared between the Centre and States in the ratio of 60:40 for non-North Eastern Region (NER) States & UTs with legislature, 100% for UTs without legislature and 90:10 for NER States and 3 Himalayan States viz. Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir and Uttarakhand. The rates of cooking cost admissible w.e.f. 01.04.2019 during 2019-20 for Primary and Upper Primary classes would be as under:-

Stage	Revised cooking cost per child per day	Centre-State sharing				
		Non-NER States & UTs with Legislature (60:40)		NER States & 3 Himalayan States (90:10)		UTs without Legislature (100%)
		Centre	State	Centre	State	Centre
Primary	Rs. 4.48	Rs. 2.69	Rs. 1.79	Rs. 4.03	Rs. 0.45	Rs. 4.48
Upper Primary	Rs. 6.71	Rs. 4.03	Rs. 2.68	Rs. 6.04	Rs. 0.67	Rs. 6.71

(MDM)

25/06/19

आवक सं /25/6/19

मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान,
मध्याह्न भोजन योजना प्रकोष्ठ
ननूरखेड़ा निकट विद्यालयी शिक्षा निदेशालय,
तपोवन मार्ग, रायपुर, देहरादून ।
E-mail : mdmcell.uttarakhand@gmail.com
दूरभाष : 0135.2781944 फैक्स : 2781944

अति महत्वपूर्ण / व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित

सेवा में,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक / रा0प0का0 / 332 / एम0डी0एम0 / 01 / 2019–20 दिनांक24 जून, 2019

विषयः– मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयों में खाद्यान्न की गुणवत्ता, सुरक्षा एवं स्वच्छता के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि भारत सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ग्रीष्मकाल / वर्षाकाल के दौरान खाद्यान्न की गुणवत्ता एवं स्वच्छता व बच्चों की सुरक्षा एवं बचाव के सम्बन्ध में आवश्यक उपायों को अमल में लाया जाना होगा, क्योंकि ग्रीष्मकाल / वर्षाकाल के दौरान विद्यालयों में खाद्यान्न की गुणवत्ता एवं स्वच्छता के सम्बन्ध में सबसे अधिक समस्या पाई जाती है। साथ ही ग्रीष्मकाल / वर्षाकाल के दौरान भोजन के दूषित होने की भी अधिक सम्भावना होती है जिसके सेवन से विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के बीमार पड़ने की प्रबल सम्भावना बनी रहती है। उक्त के क्रम में खाद्यान्न की गुणवत्ता एवं स्वच्छता व बच्चों की सुरक्षा एवं बचाव के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपायों को अमल में लाया जायेः–

- किचन कम स्टोर में रक्षित सामग्री यथा दाल, चावल, मासाले, तेल, बर्तन आदि स्वच्छ एवं खुले स्थान पर स्थित होना चाहिए।
- मध्याह्न भोजन ग्रहण करते समय किसी भी दशा में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव न किया जाए। केवल पीने योग्य पानी का ही खाना बनाने व धोने के लिए इस्तेमाल किया जाए।
- पीने योग्य पानी की निरन्तर आपूर्ति विद्यालय परिसर में सुनिश्चित की जाए। विद्यालय में खाना बनाने व बर्तन धोने आदि कार्यों के लिए पानी की पर्याप्त भण्डारण की व्यवस्था की जाए तथा पानी में ब्लीचिंग पावडर अथवा लाल दवा (पोटेशियम परमॉगनेट) मिलाकर उसे निसंक्रमित किया जाए।
- कूड़ा–करकट, दूषित जल, शौचालय, खुली निकासी और जीव जन्तु सदैव रसोई घर से उचित दूरी पर होने चाहिए ताकि इनसे होने वाली किसी भी प्रकार की बीमारियों से बचा जा सके।
- जिस स्थान पर खाना पकाया जा रहा हो उसके विपरीत दिशा पर ही जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि मध्याह्न भोजन दूषित न हो।
- खाद्यान्न का भण्डारण केवल ग्रेन बिन में किया जाए। ग्रेन बिन इस प्रकार से बने हो कि खाद्यान्न की निकासी निचले तले से हो सके। जिन विद्यालयों में ग्रेन बिन उपलब्ध नहीं है, उन विद्यालयों में नियमानुसार ग्रेन बिन की व्यवस्था कर ली जाये।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि विद्यालयों में खाद्यान्न (चावल) एक त्रैमास से अधिक संग्रहित न किया जाये। खाद्यान्न (चावल) वायुरोधी डिब्बे व बोरों (Gunny bags) में उचित ढंग से व्यवस्थित किया जाये।
- बच्चों को खाना परोसने से पूर्व अध्यापकों, भोजनमाताओं, विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों व अनुश्रवण करने वाले अधिकारियों / जनप्रतिनिधियों द्वारा खाने को चखकर खाने के गुणवत्ता की जांच की जाये। भोजन को चखने के उपरान्त उसका उल्लेख Food Test Register में प्रत्येक दिवस किया जाये।
- खाद्यान्न आवंटन के सापेक्ष प्रत्येक त्रैमास के अन्त तक समस्त खाद्यान्न का उठान किया जाय जिससे विद्यालयों में खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति बनी रहे।
- यह सुनिश्चित किया जावे कि सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकान से खाद्यान्न का जितनी मात्रा में उठान हो रहा हो, उतनी ही मात्रा में खाद्यान्न विद्यालयों को प्राप्त हो।

राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान
मध्याह्न भोजन योजना प्रकोष्ठ
शिक्षा संकुल, सीमेट भवन ननूरखेडा देहरादून
E-mail : mdmcell.uttarakhand@gmail.com
दूरभाष/फैक्स – 0135 2781944
Toll Free Number- 1800 180 4132

मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

सेवा में,

समस्त,
जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

पत्रांक : रा0प0का0/ एम0डी0एम0–08/ 103 /2018–19 दिनांक: 13 मई 2019

विषय:– **भारत सरकार के द्वारा मध्याह्न भोजन योजना राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों में किये गये संशोधनों के सम्बन्ध में।**

महोदय

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या F.No 1-4/2018-Desk(MDM) Dated 28th February 2019 के अनुक्रम में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के अन्तर्गत निम्नानुसार संशोधन किया गया है।

(1) कुकिंग मूल्य में वार्षिक वृद्धि:– भारत सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष माह अप्रैल में कुकिंग मूल्य की दरों में उपभोगता मूल्य सूचकांक को मानक बना कर वृद्धि की जानी है।

(2) प्रबन्धन शोध एवं मूल्यांकन (एम0एम0ई0):– भारत सरकार के द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत प्रबन्धन शोध एवं मूल्यांकन (एम0एम0ई0) मद में कुकिंग मूल्य, खाद्यान्न मूल्य, ढुलान भाड़ा एवं भोजनमाता मानदेय मद का केन्द्रीय अंश केन्द्रांश का कुल बजट के सापेक्ष 2 प्रतिशत के स्थान पर 3 प्रतिशत अंश पुनरीक्षित किया गया है। उक्त के सापेक्ष ही राज्य सरकार के अधीन संचालित मध्याह्न भोजन योजना में भी 1.8 प्रतिशत के स्थान पर 2.7 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण व्ययभार केन्द्र सरकार के द्वारा वहन किया जायेगा।

(3) किचन उपकरण की दरों में संशोधन:– भारत सरकार के द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत नवीन किचन उपकरण तथा पुराने किचन उपकरणों को बदलवाये जाने हेतु विद्यालयों में छात्र संख्या के मानकों के अनुसार दरों में संशोधन किया गया है। संशोधित दरों के आधार पर केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा 90:10 के आनुपातिक स्तर से धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें प्रति किचन डिवाईज हेतु केन्द्रांश के रूप में 90 प्रतिशत व्ययभार केन्द्र सरकार के द्वारा तथा 10 प्रतिशत व्ययभार राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाना होगा।

विद्यालय में नामांकन/छात्र संख्या	दर प्रति किचन डिवाईज (रू0 में)	केन्द्रांश (रू0 में)	राज्यांश (रू0 में)
0 से 50 तक	10000.00	9000.00	1000.00
51 से 150 तक	15000.00	13500.00	1500.00
151 से 250 तक	20000.00	18000.00	2000.00
251 से अधिक	25000.00	22500.00	2500.00

(4) किचन कम स्टोर :– भारत सरकार के द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत निर्मित किचन कम स्टोरों (जिन्हें दस वर्ष पूर्ण हो गया हो) की मरम्मत के लिए प्रति किचन कम स्टोर **रू0 10000.00** की धनराशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा 90:10 के आनुपातिक स्तर से धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

F. No. 1-4/2018-Desk (MDM)
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of School Education & Literacy
******

Shastri Bhavan, New Delhi
Dated the 28th February, 2019

To

The Additional Chief Secretaries/Principal Secretaries/ Secretaries (Education) or the Nodal Department for Mid-Day Meal in all States/Union Territories.

Subject: Revisions/Modifications of Centrally Sponsored National Programme for Mid- Day Meal in Schools (NP-MDMS).

Sir/Madam

I am directed to convey the approval of the Central Government for the revisions / modifications of norms for the following components under the Centrally Sponsored National Programme for Mid- Day Meal in Schools (NP-MDMS):-

i) Annual increase in the cooking cost w.e.f. April, linked to inflation index (Consumer Price Index).
ii) Revision of transportation assistance for non-special category of States and UTs, at par with PDS rate subject to maximum amount of Rs. 150 per quintal.
iii) Revision of Management Monitoring and Evaluation (MME) rate from 2% to 3% of the total admissible recurring Central Assistance for cost of food grains, cooking cost, transport assistance and honorarium to cook-cum-helpers.
iv) Revision of rates for procurement/replacement of kitchen devices @ Rs.10000-Rs.25000 on sharing basis as per existing sharing pattern, linked to enrolment as mentioned below:

Enrolment (No. of Children)	Unit Cost (In Rs.)
Up to 50	10,000
51-150	15,000
151-250	20,000
251 & above	25,000

ones for whom the meal is being cooked. All States and UTs are advised to ensure intensive and regular training of Cook-cum-Helpers as well as members of School Management Committees. Moreover, all States and UTs are also advised to put in place mechanisms to take feedback from students on quality of meals and menu.

iv) **Tithi Bhojan** – The States and UTs are advised to follow the detailed guidelines issued regarding Tithi Bhojan to encourage people from the community to celebrate important days, such as child birth, marriage, birthdays etc. by contributing to the Mid Day Meal Scheme. Tithi Bhojan is not a substitute to Mid Day Meal but it supplements or compliments Mid Day Meal.

v) **Usage of Jails, Temples, Gurudwaras etc. for Mid Day Meal** – All States and UTs are advised to involve community and other agencies such as Jails, Temples, Gurudwaras etc. in the Mid Day Meal Scheme.

6. Necessary guidelines in respect of the above decisions will be issued shortly.

7. All States and UTs are requested to disseminate the above revisions to all concerned.

Yours faithfully

23/2/2019

(R C MEENA)
Joint Secretary to the Government of India

Copy to
1. Commissioner / Director (MDM) in all States and UTs
2. Director (VBG)/Deputy Secretary(RA)/Deputy Secretary (DA)
3. Sr. PPS to Secretary (SE&L)
4. Under Secretary (RK/SA/AD) in MDM Division
5. All Section Officers in MDM Division
6. Chief Consultants/Senior Consultants/Consultants in TSG-MDM

(11)

संख्या /XXIV-A-2/25 /2017 T.C

प्रेषक,

आर. मीनाक्षी सुन्दरम्
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–02 देहरादूनः दिनांक 18 फरवरी 2020

विषयः– केन्द्रीयकृत किचन से मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत वितरण वाले विद्यालयों में कार्यरत भोजनमाताओं के कार्य एवं दायित्वों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या– 147/XXIV(1)/न0सृ0अनु0/40/2017 टी0सी0 3 दिनांक 14 फरवरी 2018 के कम में अपर राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय के पत्रांक रा0प0का0/655/ एम0डी0एम0/34/2019–20 दिनांक 09 जनवरी 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा लिये गये निर्णय के कम में केन्द्रीयकृत किचन के माध्यम से जिन विद्यालयो में भोजन वितरण का कार्य किया जाना है, उनमें कार्यरत भोजनमाताओं के कार्यदायित्व/निर्देशों को निम्नानुसार निर्धारित किये जाने की एदतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती हैः–

क्रं0स0	भोजनमाता संख्या एवं समय आवंटन।	कार्यदायित्व
1	ऐसे विद्यालय जहाँ भोजनमाता की संख्या 1 है। (समय 10:15से 12:45 तक शीतकालीन सत्र में) (समय 7:45से 10:15 तक ग्रीष्मकालीन सत्र में) (समय में 30 मिनट कम ज्यादा हो सकता है। प्रधानाध्यापक/एस0एम0सी0 अपनी सुविधानुसार कार्य आवंटित कर सकते हैं परन्तु भोजनमाता से दो से ढाई घंटे से अधिक काम न लिया जाये।	1- भोजनमाता द्वारा विद्यालय परिसर जहां पर बच्चों को भोजन वितरण कराया जाता है एवं किचन के आस–पास के परिसर में साफ–सफाई की जायेगी तथा फुलवारी बनाई जायेगी। 2- संस्था से भोजन प्राप्त किया जायेगा एवं बच्चों के हाथ धुलाकर भोजन वितरण किया जायेगा। भोजन वितरण से पूर्व बच्चों के लिये टाट पटटी आदि बिछाने का कार्य एवं भोजन वितरण तथा किचन को साफ रखना होगा। 3- भोजन वितरण वाले बरतन को साफ कर संस्था को उपलब्ध कराया जाना होगा।

है तो मानदेय का भुगतान संबंधित विद्यालय प्रबंध समिति/प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को स्वयं के संसाधन से करना होगा। विद्यालय प्रबंध समिति/प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को भोजनमाताओं के विद्यालय समय पर भोजन वितरण हेतु समय निर्धारित करने का अधिकार होगा परन्तु भोजनमाताओं के कार्य विद्यालय समय में ही एवं दो से ढाई घंटे की अवधि का ही होगा साथ ही जहां तीन से अधिक भोजनमाताएं हैं, वहां पर एक साथ भोजनमाताओं को एक ही समय नहीं बुलाया जायेगा, परन्तु भोजन वितरण के समय सभी एक साथ होंगी।

उपरोक्तानुसार निर्धारित कार्यदायित्व/निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्याः64/XXIV-A-2/25 /2017 T.Cतद्‌दिनांक

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) राज्य परियोजना निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड।
(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
(3) समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड ।
(4) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0), उत्तराखण्ड।
(6) गार्ड फाईल।

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव

ज्योति यादव
आई०ए०एस०
राज्य परियोजना निदेशक

अ०शा० : 853 / म०भो०यो० / 2018–19

राज्य परियोजना कार्यालय,
समग्र शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड,
तपोवन रोड,
निकट विद्यालयी शिक्षा निदेशालय
रायपुर–देहरादून
248 008

दिनांक:– 21 जनवरी, 2019

भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से समस्त राजकीय/राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों/मकतब मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में अध्ययनरत बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015–16 (NFHS) की रिपोर्ट में राज्य के 55 प्रतिशत बच्चों में रक्तअल्पता (Anemia) के लक्षण पाये गये। उक्त सर्वे रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने हेतु मध्याह्न भोजन योजना में नवाचारी प्रयोग **''लोहे की कढ़ाई के उपयोग''** को आवश्यक किया जा रहा है। लोहे के बर्तनों जैसे कढ़ाई आदि में जब भोजन तैयार किया जाता है तो वह धातु की सतह के साथ प्रतिक्रिया करता है, परिणामस्वरूप कुछ लौह तत्व भोजन में मिश्रित होकर शरीर में पहुंचते है, जिससे रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा में वृद्धि होती है।

इसके मध्यनजर राज्य के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के हित से जुड़ी मध्याह्न भोजन योजना के इस नवाचारी प्रयोग में मेरा आपसे निवेदन है कि अपने स्तर से भी योजना से आच्छादित विद्यालयों में **''लोहे की कढ़ाई''** उपलब्ध कराने के प्रयास कर नौनिहालों के साथ स्वस्थ, सशक्त एवं समर्थ भविष्य के निर्माण हेतु योगदान करने का कष्ट करेंगे।

भवनिष्ठ

(ज्योति यादव)

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड

अद्धशासकीय पंत्राक / 853-54/एम0डी0एम0/04(2018)2018-19 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि:- 1- सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ।

(ज्योति यादव)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान,
मध्याह्न भोजन योजना प्रकोष्ठ,
ननूरखेड़ा, निकट निदेशालय विद्यालयी शिक्षा,
तपोवन मार्ग, रायपुर, देहरादून। पिन: 248008
दूरभाष/फैक्स: 0135 – 2781944
टॉल फ्री: 1800 180 4132
Website: http://ssa.uk.gov.in

सेवा में,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा
उत्तराखण्ड।

पत्रांक:– रा0प0का0/ 609 /एम0डी0एम0–02(कु0का0)/2018–19 दिनांक 19 नवम्बर 2018

विषय:– वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु कुकिंग मूल्य मद की दरों के पुनर्निधारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या F.No. 1-2/2018-Desk (MDM) Dated 15th November 2018 द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु कुकिंग कास्ट की दरों का पुनर्निधारण किया गया है। वर्तमान दरों को 90:10 (केन्द्रांश : राज्यांश) के अनुपात में 5.35 % की वृद्धि के साथ निर्धारित किया गया है। नवीन दरों का पुनर्निधारण निम्नवत् किया गया है।

दिनांक 01 अप्रैल 2018 से प्रभावी कुकिंग कास्ट की दरें

स्तर	कुकिंग मूल्य की पुनर्निधारित दरें (रू0) प्रति छात्र	केन्द्र राज्य अनुपात	
		केन्द्रांश (90%)	राज्यांश (10%)
प्राथमिक	4.35	3.91	0.44
उच्च प्राथमिक	6.51	5.86	0.65

अतः वित्तीय वर्ष 2018-19 में *दिनांक 01 अप्रैल 2018* से कुकिंग कास्ट में की गयी वृद्धि के समतुल्य ही विद्यालयों को प्रति छात्र की दर से धनराशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नक:– यथोपरि।

भवदीय
17.11.2018
(डॉ0 मुकुल कुमार सती)
अपर राज्य परियोजना निदेशक
उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद्
उत्तराखण्ड देहरादून।

पृष्ठांकन सं0 रा0प0का0/ 609 /एम0डी0एम0–02(कु0का0)/2018–19 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:– निम्नांकित के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1:– समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
2:– समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3:– समस्त उप शिक्षा अधिकारियों को जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के माध्यम से।

17.11.18
(डॉ0 मुकुल कुमार सती)
अपर राज्य परियोजना निदेशक
उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद्
उत्तराखण्ड देहरादून।

IMMEDIATE

AS-B/ JD-MDM

F.No. 1-2/2018-Desk (MDM)
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of School Education & Literacy
(MDM Division)
******

Shastri Bhavan, New Delhi.
Dated the 15th November, 2018.

To

The Principal Secretaries / Secretaries (Education) / Nodal Department of all the States / UTs for National Programme of Mid Day Meal in Schools

Subject: **Revision of cooking cost @ 5.35% w.e.f. 01.04.2018 during 2018-19 under National Programme of Mid Day Meal in Schools (NP-MDMS) - regarding.**

Sir / Madam,

I am directed to say that it has been decided with the approval of the competent authority to increase the cooking cost under National Programme of Mid Day Meal in schools, by 5.35% **w.e.f. 1st April, 2018** for the year 2018-19 over and above the existing cooking cost. The cooking cost will be shared between the Centre and States in the ratio of 60:40 for non-North Eastern Region (NER) States & UTs with legislature, 100% for UTs without legislature and 90:10 for NER States and 3 Himalayan States viz. Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir and Uttarakhand. The rates of cooking cost admissible w.e.f. 01.04.2018 during 2018-19 for Primary and Upper Primary class would be as under:-

Stage	Cooking Cost per child per day	60:40 non-NER States and UTs with legislature		90:10 NER and 3 Himalayan States		100% for UTs without legislature
Primary	Rs. 4.35	Rs.2.61	Rs.1.74	Rs.3.91	Rs.0.44	Rs.4.35
Upper Primary	Rs. 6.51	Rs.3.91	Rs.2.60	Rs.5.86	Rs.0.65	Rs.6.51

2. The above cooking cost rates indicate the minimum mandatory contribution by the Centre and State Governments/UTs. However, States / UTs may contribute more than their prescribed share as some States/UTs had been contributing more than their minimum mandatory share from their own resources for providing meals with better nutrition under Mid Day Meal Scheme.